

17.11.2021

पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम हुकुमपुरा में पेश हुई। पिता वादी के देहान्त हो जाने से न्यायालय को अवगत कराते हुए वादी के विधिक वारिस श्री राधेश्याम बैरागी ने शिविर में उपस्थित होकर इस मौजूदा वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट में अब आगे कोई कार्यवाही नही चाहने का कथन रखते हुए प्रमाण में आदेशिकां पर नोट प्रेस का अंकन कर, हस्ताक्षर किये।

ऐसी स्थिति में इस वादपत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा में अब आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नही रह जाती है। अतः वादपत्र वादी को इसी स्तर पर प्रत्याहरित किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

